भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 528
उत्तर देने की तारीख 03 दिसम्बर, 2025

फाइबरीकरण की अनुमति

528. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 5जी अपनाने के लिए आवश्यक फाइबरीकरण हेतु पथ विस्तार संबंधी अनुमति से जुड़ी देरी को कम करने और लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
(ख) सरकारी और निजी कम्पनियों के बीच फाइबर अवसंरचना के साझाकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने फाइबर बिछाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली बनाई है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) सरकार ने 5जी अपनाने के लिए आवश्यक फाइबरीकरण के लिए राइट ऑफ वे की अनुमतियों संबंधी विलबं और लागतों को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं:

i. 14 मई, 2022 को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर केंद्रीकृत राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे टेलीकॉम अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और टेलीकॉम टावर की संस्थापना के लिए आरओडब्लयू अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान की गई।

ii. 'दूरसंचार अधिनियम, 2023' के तहत दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियमों 2024 के माध्यम से आरओडब्लयू अनुमतियों को प्राप्त करने और लागू शुल्क की प्रक्रियाओं को एकरूप बनाया गया था। ये नियम 01 जनवरी, 2025 से प्रभावी हैं। ये नियम देश में टेलीकॉम अवसंरचना को सुव्यवस्थित और परिनियोजन की संस्थापना में तेजी ला रहें है और सरकारी और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच फाइबर अवसंरचना को साझा करने में बढ़ावा दे रहे हैं। आरओडब्ल्यू नियम 2024 के अनुसार अधिकांश राज्यों में आरओडब्ल्यू पोर्टल को और उन्नत किया गया है।

******